



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र - इन्दौर

क्रमांक 12015/32/2017/चयन

इन्दौर दिनांक 3 NOV 2017

// विज्ञप्ति //

राज्य सेवा परीक्षा-2017 के पद हेतु साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त किये जाने संबंधी सूचना ।

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 06/परीक्षा/2016 दिनांक 05.12.2016 के अन्तर्गत राज्य सेवा परीक्षा-2017 का विज्ञापन प्रकाशित किया गया है । उक्त विज्ञापन के अंतर्गत मुख्य परीक्षा दिनांक 03.06.2017 से 08.06.2017 तक आयोजित की गई थी । लिखित परीक्षा का परिणाम दिनांक 28.09.2017 को जारी किया गया है ।

2/ राज्य सेवा परीक्षा -2017 के साक्षात्कार दिनांक 06 नवम्बर, 2017 से दिनांक 06 दिसम्बर, 2017 तक आयोजित किए जा रहे हैं । लिखित परीक्षा में अर्ह समस्त आवेदकों से अभिलेख दिनांक 28.10.2017 तक मंगवाए गए थे । आयोग द्वारा आवेदकों के अभिलेख प्राप्त होने के पूर्व ही साक्षात्कार तिथि का निर्धारण किये जाने के कारण लिखित परीक्षा में अर्ह समस्त आवेदकों को साक्षात्कार पत्र आयोग द्वारा प्रावधिक जारी किये गये थे ।


3/ आवेदन पत्रों की जाँच उपरान्त पाया गया कि 01 आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमिलियर श्रेणी में आने के उपरान्त साक्षात्कार की उम्मीदवारी अनारक्षित (ओपन) में विचारित किये जाने के उपरान्त राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2017 एवं राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी (ओपन) के कट ऑफ अंक से कम अंक होने से आदेशानुसार साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त किये जाने के साथ ही आवेदक को जारी किया गया साक्षात्कार पत्र निरस्त किया जाता है :-

S.NO.	ROLL	NAME	SEX	CAT
1	157843	PRAVEEN PRAKASH BESALA	Male	OBC

4/ आवेदन पत्रों की जाँच उपरान्त पाया गया कि 01 आवेदिका अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमिलियर श्रेणी में आने के उपरान्त साक्षात्कार की उम्मीदवारी अनारक्षित (महिला) में विचारित किये जाने के उपरान्त राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2017 में अनारक्षित श्रेणी (महिला) के कट ऑफ अंक से कम अंक होने से आदेशानुसार साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त किये जाने के साथ ही आवेदिका को जारी किया गया साक्षात्कार पत्र निरस्त किया जाता है :-

S.NO.	ROLL	NAME	SEX	CAT
1	180859	SHRUTI RATHORE	Female	OBC

6/ राज्य सेवा परीक्षा-2017 की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त किये जाने के संबंध में अगर आवेदकों को कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाना है तो विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में आयोग के समक्ष आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जा सकते हैं । निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदन बिना विचार किये नस्तीबद्ध किये जावेंगे ।


उप परीक्षा नियंत्रक
(चयन)